केन्द्रीय संचार ब्यूरो Central Bureau of Communication
प्रादेशिक कार्यालय, जयपुर (राजस्थान) Regional Office, Jaipur (Rajasthan)
भारत सरकार Government of India
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय Ministry of Information & Broadcasting
कमरा नंबर 305–306 Room No. 305-306
तृतीय तल, केन्द्रीय सदन, खण्ड–ए, सैक्टर 10, विद्याधर नगर, जयपुर–302039
3rd Floor, Kendriya Sadan, Block-A, Sector 10, Vidhyadhar Nagar, Jaipur-302039

(1)

फाईल सं.0 जे 11014/7/2023–24/1551 दिनांक : 11.09.2023

निविदा संख्या

जे 11014/7/2023–24/1551 दिनांक : 11.09.2023
विज्ञापन/लिमिटेड निविदा पूछताछ के लिए

केन्द्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) द्वारा मोबाईल एक्जीवेशन वैन अनुबंध पर लेने हेतु

यह टेण्डर दस्तावेज निम्न वेबसाईट पर उपलब्ध है
www.davp.nic.in

दस्तावेज जारी किये गये व्यक्ति/फर्म का नाम

जारी करने वाले अधिकारी
केन्द्रीय संचार ब्यरो मुहर के साथ जयपुर

(2)

केन्द्रीय संचार ब्यूरो, प्रादेशिक कार्यालय, जयपुर (राजस्थान रीजन)

फाइल संख्या जे 11014/7/2023-24/ 1441 दिनांक : 11-09-2023

____

____

____

विषय :– मोबाईल वैन अनुबंध पर लेने हेतु निविदा आमंत्रण बाबत।

केन्द्रीय संचार ब्यूरो, जयपुर द्वारा राजस्थान प्रदेश में केन्द्र सरकार की विभिन्न फ्लेगशिप योजनाओं के प्रचार प्रसार ण्वं कार्यक्रमों के आयोजन हेतु मोबाईल वैन TATA 407 किराये पर लिये जाने हेतु 2 Bid system (Technical Bid and Financial Bid) निविदा आमंत्रित की जाती हैं। मोबाइल एक्जीवेशन वाहन द्वारा 7 दिवस, 15 दिवस एवं 30 दिवस प्रचार प्रसार का कार्य किया जाएगा, जिसे विभागीय आवश्यकतानुसार बढ़ाया/घटाया जा सकता है। प्रथम मोबाईल एक्जीवेशन वाहन को 7 दिवस रामदेवरा मेला (जैसलमेर) में चलाया जाना प्रस्तावित है।

मोबाईल वैन TATA 407 में निम्नलिखित घटक (component) होना आवश्यक है :

1- Mobile Exhibition Van, Design, Fabrication और फ्लेक्स प्रिन्ट के साथ टी शेप में ब्राण्डिंग होगी।
2- 8 स्टेण्डी (Designed, Printed and procured by the Van provider)
3- मोबाईल वैन का फर्श कारपेट द्वारा कवर्ड होगा।
4- 200 W Amplifier PA System with 2 Mike, Pen drive and CD player with 2 100 W Speakers
5- पावर इन्वर्टर बैट्री बैकअप सहित
6- प्रिंटेंड प्रचार सामग्री हेतु केबिन साईज (2ft x 4 ft)
7- 40 इंच एलईडी
8- वाहन को जीपीएस डिवाइस द्वारा ट्रेक करने की सुविधा

इन घटको सहित वाहन की प्रति दिन दर प्रस्तुत करें :-

S.No.	Type of Vehicle and days of Mobile Exhibition Van	Rate per day for Mobile Exhibition Van without Fuel, Toll and parking charges etc.	Rate per day for Mobile Exhibition Van with Fuel, Toll, Parking charges etc.
1	TATA 407 for 7 Days		
2	TATA 407 for 15 Days		
3	TATA 407 for 30 Days		

TERMS & CONDITIONS

1. जीएसटी का भुगतान अलग से लिखा जाए।
2. वाहन लोकेशन के लिए जीओ टैगिंग होना आवश्यक है।
3. व्हाट्स एप के माध्यम से प्रत्येक दिवस के प्रत्येक हॉल्ट के 2 फोटोग्राफ भिजवाने होगें।
4. मोबाइल वैन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन की स्थिति को कार्यालय को पहले दिखाना होगा तथा निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रदर्शनी एवं उपकरण सहित कम्पलीट कर वाहन को कार्यालय में भिजवाना होगा।
5. निविदा की शर्ता एवं नियमों का उल्लंघन करने पर फर्म पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
6. निविदा (1) तकनीकी भाग/Technical Bid (2) वित्तीय भाग/Financial Bid अलग अलग लिफाफे में बंद कर एक बड़े लिफाफे (बंद करके) में संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय संचार ब्यूरो, जयपुर कार्यालय को दिनांक 25 सितम्बर,2023 को सांय 6.00 बजे तक पहुंच जानी चाहिये। टैक्नीकल बिड सही पाए जाने पर ही फाईनेन्शिल बिड खोली जाएगी। निविदा को दिनांक 26.09.2023 को प्रातः 11.00 बजे खोला जाएगा।

(राम खिलाडी मीणा)
संयुक्त निदेशक

संलग्न : नियम एवं शर्ते

केन्द्रीय संचार ब्यूरो, प्रादेशिक कार्यालय, जयपुर (राजस्थान रीजन)

फाइल संख्या जे 11014/7/2023–24/1454 दिनांक : 11–09–2023

इच्छुक एजेन्सियों से राजस्थान प्रदेश में केन्द्र सरकार की फ्लेगशिप योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु अनुबंध पर मोबाईल एक्जीवेशन वैन उपलब्ध कराने के लिए नियमों एवं शर्तो की पालना करते हुए निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा (1) तकनीकी भाग/Technical Bid (2) वित्तीय भाग/Financial Bid अलग अलग लिफाफे में बंद कर एक बड़े लिफाफे (बंद करके) में संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय संचार ब्यूरो, जयपुर कार्यालय को दिनांक 25 सितम्बर,2023 को सांय 6.00 बजे तक पहुंच जानी चाहिये। देरी से प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदा सील बंद लिफाफे में नहीं होने पर सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएगी। टैक्नीकल बिड सही पाये जाने पर ही फाईनेन्सियल बिड खोली जाएगी। यह कार्यालय बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। निबिदा को दिनांक 26.09.2023 को प्रातः 11.00 बजे खोली जाएगी। अतः सभी निविदाकर्ता स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। अनुबंध पर ली जाने वाली मोबाईल एक्जीवेशन वाहन को 7 दिवस, 15 दिवस एवं 30 दिवस के लिये राजस्थान प्रदेश में आयोजित होने वाले महत्वपूर्ण मेलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार हेतु उपयोग लिया जायेगा,। इस अवधि को घटाया/बढ़ाया जा सकता है।

मोबाइल एक्जीवेशन वाहन को किराये पर लेने के लिए नियम व शर्तें

1. निविदाकर्ता एक पंजीकृत फर्म/कम्पनी होनी चाहिए। (रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें)
2. अनुबंधित एजेंसी मालिक को पैन कार्ड की एक स्वयं सत्यापित प्रति, जीएसटी पंजीकरण नंबर और आयकर रिटर्न पिछले तीन वर्षो में दायर की प्रतिलिपि प्रदान करनी होगी।
3. अनुबंध की अवधि 6 महीने यानि सितम्बर,2023 से फरवरी,2024 के लिए होगी।
4. अनुबंध के लिए पेश की जाने वाली वाहन अच्छी स्थिति में होनी चाहिये। वाहन का बीमा और वाहन का संबंधित राज्य प्राधिकरण/अन्य संबंधित एजेन्सियों से आवश्यक परमिट/मंजूरी/प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण पत्र होने चाहिए।
5. किसी भी दुर्घटना के मामले में, उसके सभी उत्पन्न होने वाले दावे, वाहन प्रदाता द्वारा वहन किया जाएगा।
6. वाहन की रोड पात्रता, वाहन प्रदाता द्वारा समय समय पर सुनिश्चित की जायगी।
7. अनुबंध वाहन के ड्राईवर को शिष्टाचार, शालीनता और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का पालनः करना होगां। वाहन चालक के पास चालू हालत में मोबाईल फोन होना चाहिये जिसके लिए अलग से कोई भुगतान इस कार्यालय द्वारा नहीं किया जाएगा।
8. अनुबंध एजेंसी सभी श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
9. निविदाकर्ता को या उसकी फर्म को निविदा प्रस्तुत करने तक किसी सरकारी संगठन/विभाग/पीएसयू/सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है, इस आशय का स्व–प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. निविदा के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।
11. अनुबंध एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि किराये पर दिये जाने वाले वाहन का ओडोमीटर ठीक से कार्य कर रहा है। दूरी को बढा चढाकर बताने, उससे छेडछाड नहीं करने का लिखित आश्वासन देना होगा।

12. अनुबंधित एजेन्सी को ये सुनिश्चित करना होगा कि वाहन चालक के पास एक वैद्य ड्राईविंग लाईसेंस और न्यूनतम दो साल का अनुभव होना आवश्यक है। वाहन के मालिक किसी भी शर्त के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होंगे।
13. अनुबंधित एजेंसी पुलिस द्वारा वाहन चालक के पूर्ववृत्त(Credentials) की पुष्टि के बाद एक उचित पहचान कार्ड चालक को प्रदान करेगा।
14. एलपीजी सिलेंडर वाहन चलाने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
15. अनुबंध पर उपलब्ध कराये जाने वाला वाहन अच्छी स्थिति में होना चाहिए और वाहन का मॉडल 2019 से पूर्व का नहीं होना चाहिये।
16. वाहन के चालक को एक लॉगबुक रखनी होगी। जिसे संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
17. अनुबंधित एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये वाहन के खराब होने की स्थिति में वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करनी होगी। ऐसा नहीं होने की स्थिति में भुगतान में कटौती की जाएगी।
18. अनुबंधित एजेसी/वाहन प्रदाता द्वारा इस विभाग को अपनी या वाहन चालक की लापरवाही से आम जनता या किसी भी व्यक्ति को अनुबंध के कार्य के दौरान होने वाले नुकसान/दोनो से पूरी तरह सुरक्षित रखने का वचन(Undertaking) देना होगा।
19. कार्य अवधि के दौरान रविवार/सार्वजनकि छुट्टियां अनुबंधित प्रदाता एजेंसी की छुट्टियों के रूप में नहीं मानी जा सकती है।
20. अनुबंधित एजेंसी को यह लिखित में देना होगा कि केन्द्रीय संचार ब्यूरो में काम कर रहे किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से उसका कोई संबंध नहीं है।
21. सन्तोषजनक कार्य नहीं होने पर या अनुबंध के नियम एवं शर्तो की अनुपालना नहीं होने पर वाहन एवं वाहन चालक का अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

मध्यस्थता

1. विभाग या वाहन प्रदाता के बीच किसी भी विवाद होने की स्थिति में दोनो पार्टी एक सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए प्रयास करेंगे। मतभेद के निपटान के लिए प्रादेशिक प्रमुख द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाएगा।
2. किसी भी विवाद की स्थिति में अनुबंधकर्ता द्वारा बिना बाधा एक पेशेवर तरीके से अनुबंध के हिसाब से भुगतान किया जायेगा, अगर भुगतान विवाद का मुद्दा नहीं हो तो।
3. मध्यस्थता, अगर ज़रूरत हो तो सुलह अधिनियम,1996 (Arbitration and Conciliation Act,1996) और भारत सरकार के कानूनों के अनुसार किया जाएगा। विवादो का निपटान प्रादेशिक प्रमुख द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा।
4. विवाद के सभी मामलों को निपटान जयपुर की अदालतों के अधिकार क्षेंत्र के अधीन होगा।

भाग – क (संबंधित दस्तावेज संलग्न करें)

1.	निविदाकर्ता का नाम पता और टेलीफोन नंबर	
2.	मालिक/भागीदारी/निदेशक का नाम और पता	
3.	पूर्व में किसी भी सरकारी/गैर सरकारी विभाग के लिए चलाए गये मोबाईल एक्जीवेशन वाहन की 4 फोटो व वर्क ऑर्डर की कॉपी	
4	मोबाइल प्रदर्शनी वाहन के लिए संबंधित प्रस्तावित आर्ट वर्क की सैम्पल प्रति संलग्न करें।	

निविदा के लिए मानदण्ड

1	क्या वाहन आपका है ?	हां/नहीं
2	वाहन वाणिज्यिक उपयोग के लिए पंजीकृत है ?	हां/नहीं
3	आपके पास वैद्य जीएसटी टैक्स पंजीकरण है?	हां/नहीं
4	जीएसटी पंजीकरण की सत्यापित प्रति संलग्न की है ?	हां/नहीं
5	क्या आपका वैद्य पैन (PAN) है ?	हां/नहीं
6	क्या आपने स्वयं द्वारा सत्यापित पैन कार्ड की प्रति संलग्न की है ?	हां/नहीं
7	वाहन के पंजीकरण नंबर और मॉडल संख्या के साथ खरी की तारीख (पासंगिक दस्तावेज संलग्न करें।)	हां/नहीं
8	क्या आपने ड्राईवर के वैद्य लाईसंस की प्रति संलग्न की है	हां/नहीं
9	क्या आपने आप द्वारा पिछले तीन वर्षो के लिए दायर आयकर रिटर्न की सत्यापित प्रति संलग्न की है ?	हां/नहीं
10	क्या आपने पूर्व में किसी सरकारी/गैर सरकारी विभाग को मोबाईल प्रदर्शनी वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाई है।	हां/नहीं
10 (ए)	अगर हॉं, तो विभाग द्वारा किया गया वर्क आर्डर/कम्पलीशन सर्टिफिकेट वाहन की 4 फोटो सहित (सभी एंगल से) संलग्न करें।	हां/नहीं

मैने निविदा सूचना के नियम और शर्तो को पढ़ लिया है और उनके पालन करने के लिए सहमत हूॅं। मैं यह भी प्रमाणित करता हूॅं कि मेरा कोई रिश्तेदार सीबीसी में काम नहीं कर रहा है और किसी से मेरे संबंध नहीं है। मैं प्रमाणित करता हूॅं कि मैं/मेरी फर्म किसी भी सरकार संगठन/फर्म सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाली गयी है।

हस्ताक्षर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम/सील स्टाम्प